

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/18-19/ 1556
निमित्त:-

दिनांक :- 15/2/19

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा ।

विषय :- Diversion of 13.558ha of forest land for upgradation kota –
Dharanawada Road प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6979/2014 And
संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (मध्य) के पत्र क्रमांक 58 दिनांक 23.04.2018 एवं
क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की कार्यवाही
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में MOEF की
(आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 27.9-एफ की बैठक दिनांक 18.4.2018 की कार्यवाही के द्वारा
विश्लेषण करने पर प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर लगाये गये आक्षेपों की इस कार्यालय एवं
यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की गई है :-

क्र.सं.	EDS Raised/ in REC Meeting dated 27.3.2018	Reply of EDS
a	Details of Alternative Examined have not been given . (ii)The justification is without quantification of area other alternatives.	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है इस मार्ग के बाई ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है तथा इस मार्ग के दायी और छबड़ा से धरनावदा जाने के लिए हिंगलोट पाली फलीया फाटक होते हुए धरनावदा पहुंचा जा सकता है इसके लिये करीब 17 कि.मी दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग में गणनानुसार वन भूमि 17. 28 हैक्टर आएगी जो कि 13.56 हैक्टर से काफी अधिक है। (संलग्न नक्शा)
b.	Layout Plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not provided . (ii) As per cross section attached at8-c /3 the Requirement is of 18 mts width whereas area calculation sheet shows average width requirement varying from 7.13mts to 29 mts at different chainage of road .	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपि निर्माण कार्य 18मी चौड़ाई में किया गया है किन्तु उक्त सड़क स्टेट हाईवे होने के कारण IRC- 73 के अनुसार minimum road land width 30मी. होनी आवश्यक है अतः भविष्य की प्लानिंग, पौधारोपण व IRC की गाइड लाइन के अनुरूप 30 मीटर की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं संलग्न IRC-73 की प्रति।


d;	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been Lodged against contractor driver by ROF .However area of violation has not been speacified .	
	(i) Extent violation (4.0ha) has been provided at 8-c\11.the document is a scanned copy .the extent of violation includes only recent work of 5mts on both sides for 4kms.	उक्त प्रकरण मे स्टेट हाईवे के 4की.मी लम्बाई मे 5-5मी दोनो तरफ कुल 4 हैक्टेयर मे से सडक चोडाईकरण का कार्य वन क्षेत्र मे किया जा चुका है जिसकी FIR-N.7-82 दिनांक 27.9.213 एवं रवन्ना न:43-28 दिनांक 3.10.2013 से दर्ज किया जाकर 62000रुपये जुर्माना वसूल कर अपराध शमन किया गया। जिसमें वन अपराध दर्ज करते समय 0.29 हैक्टर का उल्लंघन पाया गया था।
	(ii) Issue of violation of FCA needs to be dealt as per latest guidelines of MOEF &cc issued on 29 January 2018 .provision contained on page 2 at A(i) regarding cases” wher the proposal under FCAct has not been submitted and forest land is diverted without FC” shall be delat as per provision contained in sub section (i) & (ii) in this case the violation is of 2013 as per part ii fillied by DFO and timeline shows submission of proposal by user agency on 8 May 2015.	MOEF &cc के 29 January 2018 के परिपत्र के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण से शास्ति 947263/- लाख आरोपित की गई है। और राशि जमा कराने एवं अन्य शर्तों की पालना हेतु User agency को पत्र लिखा जा चुका है।
	(iii) Date of violation in this case is Confusing because few other dates are Mentioned in report at 8 /c-1 like constr uctoin of graven road in 1975 application bitumen / tar in 1984-85 therefor the issue the issue requires a self contained note duly providing chronology details of officials actual extent with dates copy of work related documents ets.	self contained note संलग्न किया जा रहा है। जिसमें कोनोलोजी व पदस्थापित अधिकारियों का विवरण व वर्क ऑर्डर की प्रति एवं कोन्ट्रेक्टर डाक्यूमेन्ट की प्रति संलग्न कर दी गई है।

e	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal .whereas the road is claimed to be pre-existing .it nees clarification .	
	(ii) Extent violation will vary as per this reply which will require inclusion of all constructed area .	यद्यपि सडक 1 लेन सडक का निर्माण 1988 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सडक का सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सडक का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
f	(ii) As per DSS Analysis 1ha . Only out of 13.56 ha .proposed for CA is not Found Suitable . this may be reexamined .	DSS विश्लेषण के अनुसार 13.56 है० मे से 12.56है०क्षेत्र ही NFL हेतु अनुकुल पाया गया है। उसी अनुसार 12.56है०का NFL प्लान संलग्न कर दिया गया है (Annex-1) एक है० भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पाये जाने के कारण MOEF &CC के परिपत्र अनुसार अवशेष भूमि 1है० पर लगाये जाने वाले 1100 पौधे परिभाषित वन भूमि 1.57हैक्टेयर पर लगाये जायेगे जिसका विस्तृत प्लान(Annex-2) संलग्न है। एव KML file भी संलग्न कर दी गयी है।

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय


(राजीव कपूर)


उप वन संरक्षक
बारां

कमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/18-19/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा।

दिनांक :-


(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां

Full Title of the project : Kota to Dharmawada Road Project in Baran District.
 Details of Afforestation scheme on Degraded forest land
 File no: FPAR/ROAD/6979/2014
 Date of proposal 08.01.2015

Detail of year wise break up of requirements of funds in Rs under :-

Sr.No.	Year	Area in Ha.	Rate/ ha	Amount
1	0th year	12.558	41708	523769
2	1st year	12.558	49201	617866
3	2nd year	12.558	14130	177445
4	3rd year	12.558	4367	54840.8
5	4th year	12.558	4367	54840.8
6	5th year	12.558	4367	54840.8
7	6th year	12.558	4367	54840.8
8	7th year	12.558	4367	54840.8
9	8th year	12.558	4367	54840.8
10	9th year	12.558	4367	54840.8
11	10th year	12.558	4367	54840.8
12	11th year	12.558	4367	54840.8
13	12th year	12.558	4367	54840.8
	Total		148709	1867487.62
	Administrative charges 10%		14871	186748.76
	Total		163580	2054236.38
		12.558x163580	2054236.38	

3 Technical details :

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows :-

- General Details 700 plants will be planted per hectare (forest block kishanganj)
 - Spacing : 4x3m
 - Species: Local broad leaves species will be planted.
 - Plantation Method: Digging pit of size 45x45x45cm and planting plants raised in near by nursery .
 - Soil and Moisture Conservation Works: Contour trenches ,contour dykes, treatment of nallahs by constructing series of checkdam.
 - Protection (Fencing, Watch Man, People's Participation etc.) :-Area will be fenced and protected by providing choukidar and taking help of VFPMC .
 - Proposed Monitoring Mechanism: Plantation will be monitored by various level Forest Officers and planning and monitoring team of circle and state level team
- Any other information :-


 Dy. CONSERVATOR OF FOREST

BARAN

Full Title of the project ; Kota to Dharnawada Road Project in Baran District.
 Details of Aforestation scheme on Degraded forest land
 File no;FP\RJ\ROAD\6979\2014
 Date of proposal 08.01.2015


Detail of year wise break up of requirements of funds is as under :-

Sr.No.	Year	Area in Ha.	Rate/ ha	Amount
1	0th year	1	34858	34858
2	1st year	1	32191	32191
3	2nd year	1	10156	10156
4	3rd year	1	4671	4671
5	4th year	1	4671	4671
6	5th year	1	4671	4671
7	6th year	1	4671	4671
8	7th year	1	4671	4671
9	8th year	1	4671	4671
10	9th year	1	4671	4671
11	10th year	1	4671	4671
12	11th year	1	4671	4671
13	12th year	1	4671	4671
	Total		123916	123916
	Administrative charges 10%		12392	12392
	Total		136308	136308
		1x136308	136308	

3. Technical details :

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows :-

- General Details 700 plants will be planted per hectare (forest block kishanganj)
 - Spacing : 4x3m
 - Species: Local broad leaves species will be planted.
 - Plantation Method: Digging pit of size 45x45x45cm and planting plants raised in near by nursery .
 - Soil and Moisture Conservation Works: Contour trenches ,contour dykes, treatment of nallahs by constructing series of checkdam.
 - Protection (Fencing, Watch Man, People's Participation etc.) :-Area will be fenced and protected by providing choukidar and taking help of VFPMC .
 - Proposed Monitoring Mechanism: Plantation will be monitored by various level Forest Officers and planning and monitoring team of circle and state level team
- Any other information :-


 Dy. CONSERVATOR OF FOREST
 BARAN

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छवड़ा

CampBam/SP-1/ DT - 30.05.18

To, Divisional Forest Officer District Baran.

विषय :- Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500


Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	Details of alternative examined have not been given	प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है। तथा इस मार्ग के दाईं ओर छवड़ा से धरानावदा जाने के लिये हिमलोड, पाली, फलिया फाटक हेतु हुए धरानावदा पहुँचा जा सकता है। इसके लिये करीब 17 कि.मी. दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग में गणनानुसार वन भूमि 17.28 हेक्टर आएगी जो कि 13.56 हेक्टर से काफी अधिक है। संलग्न - इण्डेक्स गेप
2	Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided.	यद्यपि निर्माण कार्य 18 मी. चौड़ाई में किया गया है। किन्तु उक्त सड़क स्टेट हाईवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार Minimum road land width 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भविष्य की प्लानिंग, प्रायारोपण व IRC की गाइड लाइन के अनुरूप 30 फीट की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है संलग्न IRC-73 की प्रति
3	Required no objection certificate is not provided	
4	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF. However area of violation has not been specified	दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारियों एवं वर्तमान पदस्थापन की सूचना तथा वर्क ऑर्डर की कॉपी एवं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की प्रति भी अधिशाही अभियन्ता के पत्रांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है।
5	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It needs clarification	यद्यपि सड़क : लेन सड़क का निर्माण 1928 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सड़क का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सड़क का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
6	As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined	DSS Analysis के अनुसार अनउपयुक्त भूमि जिसके अन्तर्गत प्लान्टेशन का कार्य नहीं होगा इसके अन्तर्गत अन्य वतायानुसार वन भूमि में प्लान्टेशन कार्य कर दिया जायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


अधिशाही अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छवड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियंता सानि.वि. खण्ड छबड़ा
मार्ग के पूर्ण वन भूमि को प्रत्यावर्तन के क्रम में
कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य कोटा धरनावदा कि.मी. 111/0 से 157/525

प्रमाणित किया जाता है कि कोटा धरनावदा मार्ग संख्या 16880 से पूर्ण का वर्तमान हुआ प्रस्तावित मार्ग है। जो लगभग सन 1975 में गेवल सड़क बनी थी जिसका आधिकारण का कार्य 1984-85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए फस्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है व स्टेट हाइवे है। इस मार्ग पर थर्मल प्लांट होने के कारण काफी आवागमन रहता है। उक्त सड़क न्यूनतम वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यह सड़क 1975 से गेवल सड़क है अतः उक्त मार्ग में पड़ने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। अतः प्रत्यावर्तन की स्वीकृति देने की कृपा करें। इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर संजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है। तथा इस मार्ग के बाईं ओर छबड़ा से धरनावदा जाने के लिये हिमलोड, पाकी, फलिया फाटक होते हुए धरनावदा पहुँचा जा सकता है। इसके लिये करीब 17 कि.मी. अधिकतम दूरी तय करनी पड़ेगी तथा उक्त मार्ग में 17.28 हेक्टर वन भूमि भी आयेगी। वन भूमि को प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सड़क का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जायेगी।

अधिशासी अभियंता
सानि.वि. खण्ड छबड़ा

5.2. Normally "ruling design speed" should be the guiding criterion for correlating the various geometric design features. "Minimum design speed" may, however, be adopted in sections where site conditions, including costs, do not permit a design based on the "ruling design speed".

5.3. The design speed should preferably be uniform along a given highway. But variations in terrain may make changes in speed unavoidable. Where this is so, it is desirable that the design speed should not be changed abruptly, but in a gradual manner by introducing successive sections of increasing/decreasing design speed so that the road users get conditioned to the change by degrees.

6. CROSS-SECTIONAL ELEMENTS

6.1. Road Land, Building Lines and Control Lines

6.1.1. Road land width (also termed the right-of-way) is the land acquired for road purposes. Desirable land width for different classes of roads is indicated in Table 3.

TABLE 3. RECOMMENDED LAND WIDTH FOR DIFFERENT CLASSES OF ROAD

S. No.	Road classification	(metres)					
		Plain and rolling terrain				Mountainous and steep terrain	
		Open areas		Built-up areas		Open areas	Built-up areas
Normal	Range	Normal	Range	Normal	Normal		
1.	National and State Highways	45	30-60	30	30-60	24	20
2.	Major District Roads	25	25-30	20	15-25	18	15
3.	Other District Roads	15	15-25	15	15-20	15	12
4.	Village Roads	12	12-18	10	10-15	9	9

6.1.2. In high banks or deep cuts, the land width should be suitably increased. Similarly, a higher value should be adopted in unstable or landslide-prone areas. The need for a wider right-of-way at important road intersections should also be kept in view.

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

Self Contained note

Proposal Name - Kota Dharanawada Road 13.558ha

File no - FP/RJ/ROAD/6979/2014

Date -8.1.2015


कार्य का नाम :- Reconstruction of road strengthening, Winding, raising cc. pavement & C.D. work kota (kota - kawai salpura) to Dharnawada km. 123 /245 to 135 /200in dist .Baran under SHW (General) (JOB NO.2/5054/SHW/General/paln /2013-14. के तहत 24.5.2013 से स्वीकृत हुआ था (परिशिष्ट-1)संलग्न है। उक्त कार्य हेतु 5850लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013(पत्रांक F-71852/SEC11-2013 /D111) 24.05.2013 को जारी की गयी थी जिसमें कंकरीट पेवमेंट 39 पुलियाओं तथा 2000 मी. लम्बाई में प्रोटेक्शन कार्य एवं 400 मी. लम्बाई में नाली निर्माण कार्य प्रस्तावित थे

भारत सरकार द्वारा 2013 (पत्रांक F-71852/SEC11-2013 /D111) दिनांक 24.05.2013 से अतिरिक्त कार्यों के साथ पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी थी (परिशिष्ट-2) संलग्न है। वर्क आर्डर की कॉपी अधिशासी अभियन्ता Kota Dharanawada Road 13.558 ha. पी.डब्ल्यू.डी. क्रमांक 606 दिनांक 26.08.2013 के अनुसार कार्य करने की स्वीकृति मैसर्स jainco Enterprise Pvt.limited Kota को दी गयी (परिशिष्ट-3)संलग्न है। उक्त कार्या समय पर ही प्रारम्भ किया गया जिसके संवेदक द्वारा 132/500 से137/750 के बीच कार्य करने पर वन मण्डल अधिकारी बारां द्वारा माह सितम्बर 2013 में कार्य को बन्द करवा दिया गया था । सितम्बर 2013 को उप वन संरक्षक बारां द्वारा निरीक्षण करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया । इस बाबत अधिशासी अभियन्ता को पत्रांक 16 दिनांक 15.12.2013 एवं क्रमांक 5605 दिनांक 29.04.2014 से प्रस्ताव तैयार कर एफसीए नोडल अधिकारी जयपुर को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और दिनांक 27.09.2013 को अधिशासी अभियन्ता एवं संवेदक के विरुद्ध FIR No. 7-42 को वन अपराध दर्ज किया गया । वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाये जाने पर यूजर एजेन्सी द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन किये गये क्षेत्र का निरीक्षण करने पर 4 कि.मी. लम्बाई 5-5 मीटर दोनो तरफ कुल 4 है0 में सड़क निर्माण कार्य किया जाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है।

उपरोक्त उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम इस प्रकार है-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री जी.एल. राव	विभागाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
2	श्री पी.के. जैन	अधीक्षण अभियन्ता	सेवानिवृत्त
3	श्री औम प्रकाश शर्मा	अधिशासी अभियन्ता (अति. चार्ज)	RSRDC Kota
4	श्री औम प्रकाश शर्मा	सहायक अभियन्ता उपखण्ड छबडा	RSRDC Kota

सा.नि.वि. छबड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत कराया गया है कि सड़क अपरोडेशन मे आ रही वन विभाग की अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव दिनांक 28.01.2015 को ऑनलाईन किये गये FP/RJ/ROAD/6979/2014 उपरोक्त केस में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पर दर्ज FIR NO 7-42 दिनांक 27.09.2013 को का अनुसंधान पूर्ण होने पर अधिषासी अभियन्ता एवं संवेदक से मुआवजा राशि 62000/- जर्ज रवन्ना न. 43-28 दिनांक 03.10.2013 को वसूल किये जाकर अपराध शमन किया गया। इसके पश्चात् आक्षेपों की पूर्ति की जाकर प्रस्ताव पुनः अति.प्र.मु.व संरक्षक नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। यूजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का मुख्य कारण वन भूमि का मौके पर चिन्हीकरण नही होना एवं रोड पर वन विभाग की मुडिया नही होने के एवं रोड कोटा वाया - कवाईसालपुरा से धरनावदारा पूर्व से ही प्रचलन मे होना बताया। पूर्व प्रचलित रोड होने के कारण पी.डब्ल्यू.डी. को स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिये जाने से यूजर एजेन्सी द्वारा कार्य आरम्भ कर किया गया था। जो की वन विभाग द्वारा वन भूमि बताए जाने पर अपराध स्वीकार किया गया और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया और अपराध को शमन करवाने हेतु राशि 62000/- रुपये का मुआवजा भी जमा कराया गया। अधिषासी अभियन्ता द्वारा प्रकरण में स्वीकार किया है कि यदि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की कोई पेनलल्टी या कोई अन्य राशि अधिरोपित की जाती है तो यूजर एजेन्सी द्वारा नियमानुसार जमा करा दी जायेगी।


राजीव कपूर
(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां